डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 79] रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 अप्रैल 2002—चैत्र 16, शक 1924

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 18 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2002

छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्र. 27 सन् 1972) को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ की विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहलाएगा. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(2) यह अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्र. 27 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है) की धारा-4 में :— धारा-4 का संशोधन.

(1) धारा-4 की उप-धारा (1) में शब्द "एक सुसज्जित" के पश्चात् शब्द "कार्यालय सह" स्थापित किया जाए.

(2) मूल अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा (1) के पश्चात् "स्पष्टीकरण" का लोप किया जाए.

(3) मूल अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा (4) का लोप किया जाए.

(4) मूल अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा (5) में शब्द "मरम्मतों तथा अनुरक्षण" के पश्चात् "और साज-सज्जा" जोड़े जाएं.

(5) मूल अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्—

"**स्पष्टीकरण**"—इस धारा के प्रयोजन के लिए "निवास" में सम्मिलित है कर्मचारीवृन्दों के मकान तथा उनसे संलग्न अन्य भवन तथा उनके उपवन और निवास के संबंध में "रख-रखाव" में सम्मिलित है स्थानीय दरें तथा कर और विद्युत तथा जल के उपबंध.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

चूंकि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विधान सभा में तथा अपने निवास स्थान पर भी कार्य संपादित करना होता है. वर्तमान में निवास को कार्यालय के रूप में घोषित नहीं किया गया है. इसलिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. अत: यह विनिश्चय किया गया है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया जाए. अत: संशोधन करना आवश्यक समझा गया.

अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक : 21 मार्च, 2002.

रविन्द्र चौबे
भारसाधक सदस्य.

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक में विधान मण्डल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निवास सह कार्यालय को आधुनिक साज-सामानों से सुसज्जित करने का प्रावधान है. अत: राज्य शासन पर अनुमानत: एक लाख-एक लाख रुपए का अनावर्ती वित्तीय भार आवेगा.

(संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972) की धारा-4 के सुसंगत उपबंध :—

धारा 4 (1)

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष रायपुर में, अपने पद को पूरी अवधि पर और उसके अव्यवहित पश्चात् एक मास की कालावधि तक, किराये का भुगतान किये बिना सुसज्जित निवास स्थान का उपयोग करने के हकदार होंगे और ऐसे निवास स्थान के अनुरक्षण के बाबत अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को वैयक्तिक रूप से कोई प्रभार नहीं देगा पड़ेगा.

स्पष्टीकरण :—

इस धारा के प्रयोजन के लिये "निवास स्थान" में उससे अनुलग्न कर्मचारी क्वाटर तथा अन्य भवन एवं उसका उद्यान सम्मिलित है और किसी निवास स्थान से संबंधित "अनुरक्षण" में स्थानीय रेटों तथा करों का भुगतान और विद्युत एवं जल की व्यवस्था सम्मिलित है.

(4) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उप-धारा (1) के अधीन दिये गये निवास स्थान को सुसज्जित करने के बारे में किया जाने वाला व्यय अध्यक्ष को दिये गये निवास स्थान की दशा में पैंतीस हजार रुपये की आर्थिक सीमा के अध्यधीन होगा और उपाध्यक्ष को दिये गये निवास स्थान की दशा में पच्चीस हजार की आर्थिक सीमा के अध्यधीन होगा.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.